

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I-2018/CFP/5

New Delhi, dated 23.04.2025

The General Managers (P)

All Zonal Railway & Production Units, etc.

(As per standard mailing list)

Sub: Amendment to Note (4) below Para 189 (i) of IREM, Vol. I.

South Central Railway sought clarification on the pass mark in selections to the post of Commercial Clerk cum Ticket Clerk against 33-1/3% quota. The matter has been examined and following clarification and amendment in IREM, Vol.I is being issued:

1. Para 189 (i) Note (4) states that "All those who qualify on the basis of written Test and Record of Service, the qualifying percentage of marks being prescribed by the General Manager, should be included in the panel in the order of their seniority for Promotion against the yearly vacancies available for them in Group 'C' categories."
2. However, Para 189 (i) Note (4) (i) (a) introduced through ACS No. 286 states that "The posts of Commercial-cum-Ticket Clerk (Pay Level-3 of the 7th CPC Pay Matrix) under the 33-1/3% quota shall be filled by the process of General Selection based on merit (not seniority)." Thus the aforementioned Para 189 (i) Note (4) applies to the selections where empanelment is in the order of seniority whereas in terms of Para 189 (i) Note (4) (i) (a), empanelment to the post of Commercial Clerk.cum Ticket Clerk is in the order of merit.
3. Further, Para 219 (g) Note (ii) of IREM, Vol.I stipulates that "Candidates must obtain a minimum of 60% marks in professional ability and 60% marks of the aggregate for being placed on the panel. In a few cases where both written and oral tests are held for adjudging the professional ability, the written test should not be of less than 35% marks and the candidates must secure 60% marks in written test for the purpose of being called in viva-voce test."
4. With the approval of the competent authority, it has been decided to amend the existing Note (4) below Para 189 (i) of the IREM, Vol. I, thus aligning it with standard norms as follows:

All those who qualify on the basis of written test and Record of Service, the qualifying percentage of marks will not be less than 60% marks in the professional ability and not less than 60% in the aggregate to be eligible to be empanelled in the panel in the order of their seniority for promotion against the yearly vacancies available for them in Group 'C' categories. For SC/ST employees, relaxation in qualifying marks will be applicable as per extant rules.

...contd.


5. Accordingly, Advance Correction Slip No.290 is enclosed herewith.

6. These instructions shall come into force from the date of issue. Past cases that have been finalized need not be reopened.

Please acknowledge receipt.

, Hindi version will follow.

Encl: ACS No. 290.

 22.04.2025

(प्रकाश चंद बैरवा/Prakash Chand Bairwa)

उप निदेशक-II स्था.(अराज.) I/Deputy Director-II Estt.(NG)I

रेलवे बोर्ड/Railway Board

टेली./ Tele No. 23303658

No. E(NG)I-2018/CFP/5

New Delhi, dated 23.04.2025

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
3. All Members/Departmental Council & National Council & Secretary/Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
4. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
5. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
12. General Secretary, All India SC&ST Railway Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.


23.4.25

for PED(IR)/Railway Board

Advisor/MR, PSs/MoSR(R), MoSR (S), EDPG/MR, OSD/MR, OSD/Coord/MR
PPSs to Chairman & CEO, M(F), M(Infra), M(T&RS), M(O&BD), Secretary, DG/RHS and
DG/RPF.

PPSs to AM(Comml.), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elec.), AM(Budget), AM(F), AM(Mech.),
AM(Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Stores), AM(Tele), AM(Traffic), AM(Works),
AM(T&C), AM(Staff), AM(HR), PED(Vig.) and PED(Infra.).

PSs to ED/Safety(M), EDCE(G), ED(E&R), EDE, EDE(N), EDME(W), EDERS(G), EDE(Res.),
EDE(RRB), EDF(B), ED(RE), ED/Track(M), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDE(GC), ED(Stat),
ED(Track/MC), EDME(Chg.), EDME(Traction), ED(Works), EDME(Dev.), EDRS(C),
EDRS(W), EDPC, EDF(E), EDA, EDV(A), JS(G) and IG/RPF.

DPC-II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), DE(N)II, DE(R), DE(D&A), DE(LL), JD(OL),
JDE(Rep), JDE(RRB), DD(Code Revision), DDE(LR)I, DDE(LR)II, DDE(LR)III, DDV(A&P),
DD(OL)I, E(NG)II, E(Rep)I, E(Rep)II, E(Rep)III, E(SCT)I, E(SCT) II, E(RRB), PC-III, PC-IV,
PC-V, E(P&A)I, E(P&A)II, CE-I, CE-II, CE-III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), Safety Branch,
A/C-III and Code Revision Cell.

**INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT MANUAL, VOLUME-I
(REVISED EDITION-1989, FIRST RE-PRINT EDITION-2009)
ADVANCE CORRECTION SLIP NO. 290**

Chapter-1, Section-B, Sub-Section-IV (Recruitment of Railway Servant in Level-1 ₹18000-56900) of 7th CPC.

The existing Note (4) below Para 189 (i) (Promotion to higher grades in Group 'C') is amended to read as under:

All those who qualify on the basis of written test and Record of Service, the qualifying percentage of marks will not be less than 60% marks in the professional ability and not less than 60% in the aggregate to be eligible to be empanelled in the panel in the order of their seniority for promotion against the yearly vacancies available for them in Group 'C' categories. For SC/ST employees, relaxation in qualifying marks will be applicable as per extant rules.

(Authority: Board's letter No.E(NG)I-2018/CFP/5 dated 23.04.2025)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.ई(एनजी)।-2018/सीएफपी/5

नई दिल्ली, दिनांक 23.04.2025

महाप्रबंधक (कार्मिक)

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-1 के पैरा 189 (i) के नीचे टिप्पणी (4) में संशोधन।

दक्षिण मध्य रेलवे ने 33-1/3% कोटा के तहत वाणिज्य लिपिक-सह-टिकट लिपिक के पद पर चयनों में उत्तीर्ण अंकों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले की जांच की गई है और भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-1 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण और संशोधन जारी किया जा रहा है:

1. पैरा 189 (i) टिप्पणी (4) में यह उल्लेख किया गया है कि "वे सभी व्यक्ति जो लिखित परीक्षा और सेवा के रिकॉर्ड तथा महाप्रबंधक द्वारा निर्धारित अंकों के अर्हक प्रतिशत के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें समूह 'ग' कोटियों में उनके लिए उपलब्ध वार्षिक रिक्तियों हेतु पदोन्नति के लिए उनकी वरिष्ठता के क्रम में पैनल में शामिल किया जाना चाहिए।"
2. हालांकि, अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 286 के माध्यम से जोड़े गए पैरा 189 (i) टिप्पणी (4) (i) (क) में उल्लेख किया गया है कि "33-1/3 प्रतिशत कोटा के तहत वाणिज्य लिपिक-सह-टिकट लिपिक (सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स का लेवल-3) के पद मेरिट (वरिष्ठता नहीं) के आधार पर सामान्य चयन की प्रक्रिया से भरे जाएंगे।" अतः ऊपर उल्लिखित पैरा 189 (i) टिप्पणी (4) उन चयनों पर लागू होता है जहां पैनलबद्धता वरिष्ठता के क्रम में है, जबकि पैरा 189 (i) टिप्पणी (4) (क) के अनुसार वाणिज्य लिपिक-सह-टिकट लिपिक के पद की पैनलबद्धता मेरिट के क्रम में है।
3. इसके अलावा, भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-1 के पैरा 219 (छ) टिप्पणी (ii) में उल्लेख किया गया है कि "उम्मीदवारों को पैनल पर रखने के लिए व्यावसायिक योग्यता में न्यूनतम 60% अंक और कुल योग के 60% अंक प्राप्त करने होंगे। कुछ मामलों में, जहां व्यावसायिक योग्यता पर निर्णय लेने के लिए लिखित और मौखिक दोनों परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, लिखित परीक्षा 35% से कम अंकों की नहीं होनी चाहिए और उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा में बुलाए जाने के उद्देश्य से लिखित परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने होंगे।"
4. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-1 के पैरा 189 (i) के नीचे मौजूदा टिप्पणी (4) में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है, जिससे इसे निम्नानुसार मानक मानदंडों के साथ संरेखित किया जा सके:


वे सभी जो लिखित परीक्षा और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, उनके लिए अंकों का अर्हक प्रतिशत व्यावसायिक योग्यता में 60 प्रतिशत से कम नहीं होगा और समूह 'ग' कोटियों में उनके लिए उपलब्ध वार्षिक रिक्तियों के अधीन पदोन्नति के लिए उनकी वरिष्ठता के क्रम में पैनल में पैनलबद्ध किए जाने हेतु पात्र होने के लिए कुल अंक 60 प्रतिशत से कम नहीं होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए अर्हता अंकों में छूट मौजूदा नियमों के अनुसार लागू होगी।

5. तदनुसार, अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या 290 इसके साथ संलग्न है।

ये अनुदेश जारी होने की तारीख से लागू होंगे। पिछले मामले, जिन्हें अंतिम रूप दिया जा चुका है, को फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है।

कृपया पावती दें।

संलग्नक: अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 290


23.04.25

(प्रकाश चंद बैरवा)

उप निदेशक-1। स्था.(एनजी)।

रेलवे बोर्ड


दूरभाष सं. 23303658

सं.ई(एनजी)।-2018/सीएफपी/5

नई दिल्ली, दिनांक 23.04.2025

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
3. विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य और सचिव/कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियां)।
4. सेक्रेटरी जनरल, एफआरओए, कमरा सं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा सं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
6. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्पलाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एंड एसटी रेलवे इम्पलाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।


23.4.25

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औ.सं.)/रेलवे बोर्ड

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I,
(संशोधित संस्करण-1989, प्रथम पुनर्मुद्रित संस्करण-2009)

अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या 290

अध्याय-1, खंड-ख, उप-खंड-IV (7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के लेवल-1 ₹18000-56900 में रेल सेवक की भर्ती)

पैरा 189(i) (समूह 'ग' में उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति) के नीचे मौजूदा टिप्पणी (4) को संशोधित कर दिया गया है, इसे निम्नानुसार पढा जाए:

वे सभी जो लिखित परीक्षा और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, उनके लिए अंकों का अर्हक प्रतिशत व्यावसायिक योग्यता में 60 प्रतिशत से कम नहीं होगा और समूह 'ग' कोटियों में उनके लिए उपलब्ध वार्षिक रिक्तियों के अधीन पदोन्नति के लिए उनकी वरिष्ठता के क्रम में पैनल में पैनलबद्ध किए जाने हेतु पात्र होने के लिए कुल अंक 60 प्रतिशत से कम नहीं होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए अर्हता अंकों में छूट मौजूदा नियमों के अनुसार लागू होगी।

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 23.04.2025 का पत्र सं. ई(एनजी)I-2018/सीएफपी/5)
